

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थानजयपुर**

क्रमांक: एफ.1(ए)302/संस्था/बीमा/2020/

दिनांक: 24-02-2020

**-आदेश- 531**

विभाग से पूर्व में लिंक अधिकारी के सम्बन्ध में जारी समस्त आदेशों के अतिक्रमण में विभाग के संभाग तथा संभाग मुख्यालय स्थित कार्यालयों में पदस्थापित निम्नांकित अधिकारी के भ्रमण/अवकाशकाल/अनुपलब्धता में उनके सम्मुख अंकित अधिकारी, लिंक अधिकारी के रूप में उनका कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्र. सं.	पदनाम	लिंक अधिकारी
1.	अतिरिक्त निदेशक, अजमेर संभाग	संयुक्त निदेशक, अजमेर
2.	अतिरिक्त निदेशक, बीकानेर संभाग	संयुक्त निदेशक, बीकानेर
3.	अतिरिक्त निदेशक, भरतपुर संभाग	संयुक्त निदेशक, भरतपुर
4.	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग प्रथम	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय
5.	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग द्वितीय	अतिरिक्त निदेशक, जयपुर संभाग प्रथम
6.	अतिरिक्त निदेशक, जोधपुर संभाग	संयुक्त निदेशक, जोधपुर शहर/ग्रामीण जिस भी कार्यालय में वरिष्ठतम अधिकारी पदस्थापित हो
7.	अतिरिक्त निदेशक, कोटा संभाग	संयुक्त निदेशक, कोटा
8.	अतिरिक्त निदेशक, उदयपुर संभाग	संयुक्त निदेशक, उदयपुर
9.	संयुक्त निदेशक, जयपुर शहर, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर
10.	संयुक्त निदेशक, जयपुर ग्रामीण, जयपुर	संयुक्त निदेशक, जयपुर शहर, जयपुर
11.	संयुक्त निदेशक, जोधपुर शहर, जोधपुर	संयुक्त निदेशक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर
12.	संयुक्त निदेशक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर	संयुक्त निदेशक, जोधपुर शहर, जोधपुर
13.	संयुक्त निदेशक, उदयपुर शहर	सहायक निदेशक, उदयपुर ग्रामीण
14.	सहायक निदेशक, उदयपुर ग्रामीण	संयुक्त निदेशक, उदयपुर शहर

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(क० एम० दूडिया)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.1(ए)302/संस्था/बीमा/2020/3129-179

दिनांक: 24-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय
3. समस्त अधिकारी संभाग/जिला कार्यालय ।
4. कैंडर स्ट्रेन्थ लिपिक
5. रक्षित पत्रावली

व.क.

निदेश

जय

संयुक्त निदेशक (संस्थापन)

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग,

राजस्थान जयपुर